संख्या-84/2015/2688/26-3-2015-10(5)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 17 अगस्त, 2015

विषयः- अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-118/स0क0/विकास/एकीकृत योजना/61/2015-16 दिनांक 06-05-2015, के संदर्भ में समाज कल्याण अनुभाग-3 के निर्गत शासनादेश संख्या-69/2015/1287/26-3-2015-10(5)/2015, दिनांक-02.07.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त योजनान्तर्गत जनपद-महराजगंज के विकास खण्ड, परतावल एवं घुघली के कुल 05 ग्रामों में सी.सी.रोड़ एवं नाली निर्माण हेतु कुल रूपया-493.18 लाख (रूपया चार करोड़ तिरानवे लाख अटठारह हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रूपया-197.27 लाख (रूपया एक करोड़ सत्तानवे लाख सत्ताइस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य" से निर्गत की गयी है।

2- निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-674/स.क./विकास/एकीकृत विकास योजना/61/2015-16, दिनांक-11.08.2015 एवं जिलाधिकारी, महराजगंज के पत्रांक-10082/स.क./नि.कार्य/विकास/2015-16 दिनांक-10.08.2015 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यकविचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-69/2015/1287/26-3-2015-10(5)/2015, दिनांक-02.07.2015 द्वारा उक्त योजनान्तर्गत जनपद महराजगंज के विकास कार्य हेतु रूपया-197.27 लाख (रूपया एक करोड़ सत्तानवे लाख सत्ताइस हजार मात्र) की निर्गत की गयी वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0 संख्या-84/2015/2688(1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/महराजगंज।
3. जिलाधिकारी, महराजगंज को उनके उक्त पत्र दिनांक-10.08.2015 के सन्दर्भ में।
4. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, महराजगंज।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी महराजगंज।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. निदेशक, एन0आई0सी0 की एक प्रति।
8. समाज कल्याण,बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
9. गार्डफाइल/इनटरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।